



बिहार विधान परिषद्

कार्य सूची

संख्या-3

186वां सत्र

बुधवार, दिनांक 23 अगस्त, 2017

12.00 मध्याह्न

प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित प्रश्न
2. तारांकित प्रश्न

औपचारिक कार्य

3. सचिव, विधेयक संबंधी संदेश, यदि कोई हो, पढ़ेंगे।
4. सचिव, विधान सभा से स्वीकृत विधेयक, यदि कोई हो, मेज पर रखेंगे।

परिनियत कार्य

5. प्रभारी मंत्री, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन यथा 'स्थानीय निकाय' की एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
6. प्रभारी मंत्री, बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 की एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
7. प्रभारी मंत्री, बिहार विज्ञापन कर अधिनियम, 2007 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या एस.ओ.-273 एवं 274 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
8. प्रभारी मंत्री, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना सं.-एस.ओ.-32 तथा 33, एस.ओ.-307 तथा 308, एस.ओ.-285 तथा 286, एस.ओ.-269 तथा 270 एवं एस.ओ.-261 तथा 262 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
9. प्रभारी मंत्री, बिहार मूल्य वृद्धि कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-277 तथा 278 एवं एस.ओ.-275 तथा 276 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
10. प्रभारी मंत्री, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-287 तथा 288 एवं एस.ओ.-271 तथा 272 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।

11. प्रभारी मंत्री, केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-5 तथा 6 एवं एस.ओ.-263 तथा 264 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
12. प्रभारी मंत्री, बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-267 तथा 268 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
13. प्रभारी मंत्री, बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-265 तथा 266 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
14. प्रभारी मंत्री, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-121 तथा 122, एस.ओ.-115 तथा 116, एस.ओ.-119 तथा 120, एस.ओ.-117 तथा 118 एवं एस.ओ.-103 तथा 104 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।

ध्यानाकर्षण

15. श्री गुलाम रसूल, कटिहार जिले के साकिन-मखदुमपुर, सिरनिया, थाना-मुफ्फसिल निवासी मो. नसीर, पिता-स्वर्गीय रहमान मियां को जमीन पर कब्जा दिलाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
16. सर्वश्री संजय कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह एवं केदार नाथ पाण्डेय, राजधानी पटना के बाईपास के इलाका में सड़क एवं नाली निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
17. डा. रणवीर नंदन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित अमीनों की नियुक्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
18. डा. वीरेन्द्र नारायण यादव, केसरिया बौद्ध स्तूप के बहुमुखी विकास के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
19. डा. सी.पी. सिन्हा, गांधी मैदान, पटना से गांधी मूर्ति हटाकर कंकड़बाग में लगाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
20. प्रो. संजय कुमार सिंह, एवं श्री केदार नाथ पाण्डेय, बिहार राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति सहित संविदा पर नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
21. श्री नीरज कुमार, पटना सिटी स्थित चाणक्य गुफा को संरक्षित कर उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
22. श्री दिलीप राय एवं श्री दिनेश प्रसाद सिंह, पटना शहर के राजवंशी नगर एवं पुनाईचक मुहल्ला से पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
23. श्री दिलीप कुमार चौधरी, राज्य में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

राजकीय विधेयक

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2017

24. श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।
25. श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

बिहार काशतकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

26. श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार काशतकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।
27. श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार काशतकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2017

28. श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।
29. श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017

30. श्री कपिलदेव कामत, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।
31. श्री कपिलदेव कामत, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।
32. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य, यदि कोई हो।


22.8.17

(सुनील कुमार पंवार)


सचिव

बिहार विधान परिषद्

दिनांक-22.8.2017

ज्ञापांक-वि.प.वि.- 50/2017- 1302 (3) वि.प.

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय उप मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रीगण/माननीय मुख्यमंत्री के आवास/मुख्यमंत्री सचिवालय (चार प्रतियों में)/महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवास एवं बिहार विधान सभा स्थित कार्यालय वेश्म/ लोकायुक्त, बिहार/महाधिवक्ता, बिहार / बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष / सभी राज्यों के विधान मंडलों के सचिव/ लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली / पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



(ध्रुव नारायण पाठक)

उप सचिव

बिहार विधान परिषद्